डॉ. एम. रामचंद्रन
सचिव (शहरी विकास)

अ.स. सं. ए-46020/113/2005-समन्वय
दिनांक 24 फरवरी, 2010

प्रिय श्री चंद्रशेखर,

कृपया विधिक मामलों के संबंध में मंत्रालय में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी अधिकारी के नामांकन के बारे में अपने अर्धसरकारी पत्र संख्या 403/1/1/2008-सीए. वी/टीएस, दिनांक 19-11-2009 का अवलोकन करें। मंत्रालय के लिए संयुक्त सचिव (श.वि.), श्री ए.के. मेहता नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

सादर,

आपका,
ह/-
(डॉ. एम. रामचंद्रन)

श्री के.एम. चंद्रशेखर
मंत्रिमंडल सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय
आर.पी. भवन
नई दिल्ली

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, विधिक मामलों का विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (उच्च न्यायालयों के साथ संलग्न विभिन्न विधि अधिकारियों के अधिकारी)
2. विद्वान भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय

प्रतिलिपि सूचनार्थः श्री ए.के. मेहता, संयुक्त सचिव (श.वि.)

प्रतिलिपि इन्हें भी प्रेषितः सचिवालय में सभी सं.स./निदेशक/उप सचिव
संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रमुख
एनआईसी - इस अर्धसरकारी को मंत्रालय की वेबसाइट में प्रविष्ट करने हेतु

(जे.पी. अग्रवाल)
निदेशक (समन्वय एवं लो.शि. और पार्लि.)

अ.स. सं. 403/1/1/2008-सीए.वी/टीएस

मंत्रिमंडल सचिव
नई दिल्ली

के. एम. चंद्रशेखर

19 नवंबर, 2009

प्रिय सचिव,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सलेम एडवोकेट बार एसोशिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के प्रावधानों के संबंध में निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देशों के अंश के रूप में, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में मुकदमेबाजी से निपटने के लिए अपने मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारियों को नामांकित करना अपेक्षित था। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आदानों (इनपुट्स) के आधार पर, नोडल अधिकारियों की एक सूची तैयार की गई और विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट (**http://lawmin.nic.in/la/liaison.htm**) पर होस्ट की गई थी।

2. एक नियमित जाँच के हिस्से के रूप में, नोडल अधिकारियों के रूप में नामित कुछ अधिकारियों से मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा संपर्क करने का एक प्रयास किया गया था। यह पाया गया था कि उनमें से कुछ छुट्टी पर थे और कुछ अधिकारियों ने कथित तौर से कहा कि वे केवल अपने अनुभागों द्वारा सँभाले जा रहे मामलों के लिए ही नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूरे विभाग के लिए नहीं। एक अन्य अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें केवल एक मामले के लिए ही नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. यह हालत संतोषजनक नहीं है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरुप नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सरकारी मुकदमेबाजी के प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमेबाजी से निपटने में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई की जाए, यह आवश्यक माना जाता है कि:

(क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में न केवल मुकदमेबाजी करने, मुकदमेबाजी में सूचना के प्रसार और सभी संबंधित व्यक्तियों के समन्वय के प्रयोजन से बल्कि परिच्छेद-वार आख्या तैयार करने, काउंटर दाखिल करने, अपील दाखिल करने, आदि के लिए भी एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में अवश्य नामित किया जाना।

(ख) ये नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव या ऊपर के स्तर के होने चाहिए जो अपने विभाग में, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या संबंधित विषय उनके कार्यक्षेत्र के भीतर पड़ता है अथवा नहीं, सभी अदालती मामलों के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे

(ग) नोडल अधिकारियों के नाम सचिव, विधिक कार्य का विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत के विद्वान अटार्नी जनरल और विभिन्न उच्च न्यायालयों से जुड़े विभिन्न विधि अधिकारियों के कार्यालयों को सूचित अवश्य किए जाने चाहिए।

4. इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और की गई कार्रवाई से कृपया 30.11.2009 तक मुझे सूचित कराया जाए।

सादर,

आपका

(के.एम. चंद्रशेखर)

श्री एम. रामचंद्रन,
सचिव,
शहरी विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली